उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (पुलिस) अनुभाग-2

संख्या : 551/छः-पु-2-91-1000 (15)-72

लखनऊ 21, मार्च 1999

अधिसूचना

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और 7 के साथ पठित धारा 46 की उप-धारा (2) और तीन के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों को प्रयोग करके और इस निमित्त जारी किये गये सभी वर्तमान नियमों का अधिक्रमण (Supersede) करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की विभागीय कार्यवाहियों, दण्ड और अपीलों को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित **नियमावली** बनाते हैं–

1. संक्षित नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. लागू होना–यह नियमावली उप-पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से निम्न अधीनस्थ श्रेणियों के पुलिस अधिकारियों पर प्रवृत्त होगी।

3. परिभाषाएँ–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "**नियुक्ति प्राधिकारी**" का तात्पर्य उस पद पर, जिसे कोई पुलिस अधिकारी तत्समय धारण करता है, नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से हैं,

(ख) "**सरकार**" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ग) "**राज्यपाल**" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(घ) "**महानिदेशक**" का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस के महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश से है,

(ङ) "**महानिरीक्षक**" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिरीक्षक की श्रेणी के सभी अधिकारी हैं,

(च) "**उप-महानिरीक्षक**" का तात्पर्य पुलिस उप-महानिरीक्षक और तत्समान श्रेणी के अधिकारियों से है,

(छ) "**पुलिस अधिकारी**" का तात्पर्य पुलिस उप-अधीक्षक की श्रेणी से निम्न अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी से है।

4. दण्ड–(1) निम्नलिखित दण्ड उपयुक्त और पर्याप्त कारणों से और एतद्पश्चात् जैसी व्यवस्था की गयी है, किसी पुलिस अधिकारी पर आरोपित किये जा सकते हैं, अर्थात्

(क) दीर्घ शास्तियाँ–

(तीन) पंक्तिच्युत करना जिसके अन्तर्गत निम्नतर वेतनमान में या समय वेतनमान में निम्नतर प्रकम पर अवनति भी है।

(ख) लघु शास्तियॉ–

(एक) प्रोन्नति को रोकना।

(दो) एक मास के वेतन से अनधिक अर्थदण्ड।

(तीन) वेतन वृद्धि को रोकना, जिसके अन्तर्गत दक्षता रोक पर वेतन वृद्धि को रोकना भी है।

(चार) परिनिन्दा

(2) उप-नियम–(1) में उल्लिखित दण्डों के अतिरिक्त हेडकान्सटेबिलों और कान्सटेबिलों को भी निम्नलिखित दण्ड दिये जा सकते हैं–

(एक) क्वार्टरों में परिरोध (इस पद के अन्तर्गत पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए दण्ड ड्रिल, अतिरिक्त गार्ड ड्यूटी या अन्य ड्यूटी सहित या रहित क्वार्टर गार्ड में परिरोध भी है)।

(दो) पन्द्रह दिन से अनधिक का दण्ड ड्रिल।

(तीन) सात दिन से अनधिक की अतिरिक्त गार्ड ड्यूटी।

(चार) सदाचरण वेतन (**गुडकन्डक्ट पे**) से वंचित करना।

(3) उप-नियम–(1) और (2) में उल्लिखित दण्डों के अतिरिक्त कान्सटेबिलों को फटीग (Fatigue) ड्यूटी से दण्डित किया जा सकता है जो निम्नलिखित कार्यो तक सीमित होगा–

(एक) तम्बू गाड़ना,

(दो) नाली खोदना,

(तीन) घास काटना, जंगल की सफाई करना और परेड के मैदान से कंकड़-पत्थर हटाना,

(चार) बैरक और चांदमारी की मरम्मत करना और लाइन में इसी प्रकार के कार्य,

(पॉच) शस्त्रों की सफाई।

5. दण्ड देने की प्रकिया–(1) उन मामलों में, जिनमें नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में वर्णित दीर्घ दण्ड दिये जा सकते हैं, नियम 14 के उप-नियम (1) में अभिकथित प्रकिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(2) उन मामलों में, जिनमें नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में वर्णित लघु दण्ड दिये जा सकते हैं, नियम 14 के उप-नियम (2) में अधिकथित प्रकिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) उन मामलों में, जिनमें नियम 4 के उप-नियम (2) और (3) में उल्लिखित लघु शास्तियॉ दी जा सकती हैं, नियम 15 में अभिकथित प्रकिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

6. जॉच का स्थान–किसी पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कोई जॉच या तो उसे जिलों में की जा सकती है, जिसमें वह कार्य या लोप हुआ जिसके सम्बन्ध में जॉच किया जाना प्रस्तावित है, या जहॉ पुलिस अधिकारी को जॉच के प्रारम्भ के समय तैनात किया जा सके।

दण्ड दे सकता है।

(2) पुलिस अधीक्षक नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (तीन) और (ख) में उल्लिखित कोई दण्ड निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को दे सकता है।

(3) पुलिस अधीक्षक नियम-4 में उल्लिखित कोई दण्ड ऐसे पुलिस अधिकारियों को दे सकता है जो उप-निरीक्षकों की श्रेणी में निम्न हैं।

(4) इस नियमावली में दिये गये उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी सहायक पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप-अधीक्षक, जिन्होंने यथास्थिति, सहायक पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप-अधीक्षक के रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, नियम-4 के अधीन दीर्घ दण्ड देने की शक्तियों के सिवाय, पुलिस अधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

(5) इस नियमावली में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, रिजर्व निरीक्षक, निरीक्षक या थाना अधिकारी अपने अधीन किसी कान्सटेबिल को **3 दिन से अनधिक अवधि के लिए ड्रिल और फटीग् (Fatigue-थकावट) ड्यूटी का दण्ड दे सकता है**, लेकिन वह सम्बंधित पुलिस अधीक्षक को अपने आदेशों की तुरन्त और किसी भी स्थिति में ओदश पारित करने से **24 घन्टे के भीतर सूचना** देगा।

8. पदच्युति और हटाना (Dismissal and Removal)–(1) किसी पुलिस अधिकारी को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा न तो पदच्युत (बर्खास्त) किया जाएगा और न सेवा से हटाया जाएगा।

(2) किसी पुलिस अधिकारी को इस नियमावली द्वारा यथा अनुध्यात उचित जॉच और अनुशानिक कार्यवाही के सिवाय न तो पदच्युत किया जाएगा, न हटाया जाएगा, और न तो पंक्तिच्युत किया जाएगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होगा–

(क) जहॉ कोई व्यक्ति **आचरण के आधार** पर जिससे आपराधिक आरोप पर उसकी दोषसिद्धि हुई, पदच्युत किया जाये या हटाया जाये या पंक्तिच्युत किया जाये, अथवा

(ख) जहॉ किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या पंक्तिच्युत करने में सशक्त प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि कुछ कारणों से जिन्हें अभिलिखित उस प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, ऐसी जॉच करना युक्ति-युक्ततः व्यावहारिक नहीं हैः अथवा

(ग) जहॉ सरकार का समाधान हो जाये कि **राज्य की सुरक्षा के हित में** ऐसी जॉच करना समीचीन नहीं है।

(3) हेड कान्सटेबिलों या कान्सटेबिलों की पदच्युति और हटाने के सभी आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित किये जाएँगे। उन मामलों को जिनमें पुलिस अधीक्षक किसी उप-निरीक्षक या निरीक्षक की पदच्युति या हटाने की संस्तुति करें, सम्बंधित उप-महानिरीक्षक को आदेश देने के लिए अग्रसारित किया जाएगा।

(4) (क) पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा से किसी व्यक्ति को साशय या उपेक्षापूर्वक भागने देने के लिए पदच्युति का दण्ड होगा जब तक दण्ड प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों

ठहराये जाने वाले प्रत्येक अधिकारी, को पदच्युत किया जाएगा जब तक दण्ड प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस पर अन्यथा विचार न करें।

9. पदावनति (Reduction) का दण्ड–किसी भी पुलिस अधिकारी को पद से नीचे पद पर पंक्तिच्युत नहीं किया जाएगा, जिस पर उसे मूलतः नियुक्त किया गया था। किसी अधिकारी को उसकी श्रेणी से ठीक निम्नतर श्रेणी पर या निम्नतर वेतनमान में, या वेतनमान में किसी प्रक्रम से निम्नतम प्रक्रम पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पंक्तिच्युत किया जा सकता है।

10. वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड–दण्ड के रूप में वेतनवृद्धि रोकने के प्रत्येक आदेश में उस अवधि का उल्लेख किया जाएगा, जिसके लिए वेतनवृद्धि रोकी गयी है और यह भी उल्लेख किया जाएगा कि क्या यह आदेश फाइनेन्शियल हैण्ड बुक (वित्तीय हस्त पुस्तिका) खण्ड-दो, भाग–दो से चार में यथा उपबन्धित भविष्य की वेतनवृद्धि को स्थगित करने में प्रभावी होगा।

11. वरिष्ठ अधिकारियों की जॉच करने की शक्तियॉ–इस नियमावली के अधीन जॉच अधिकारी द्वारा प्रयोग किये गये सभी या किन्हीं कृत्यों का प्रयोग पुलिस बल के ऐसे किसी अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है, जो श्रेणी में पुलिस अधीक्षक से वरिष्ठ हो।

12. विभागीय जॉच का अन्तरण–महानिदेशक, महानिरीक्षक और उप-महानिरीक्षक या पुलिस अधीक्षक, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, या तो स्वयं या विभागीय जॉच करने वाले जॉच अधिकारी के अनुरोध पर, पुलिस बल के तत्समान या उच्चतर पंक्ति के किसी अधिकारी को जॉच अन्तरित कर सकते हैं।

13. अधिकारी जो अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है–पुलिस बल का कोई राजपत्रित अधिकारी, जो या तो मामले में अभियोजन साक्षी है या उसने इसके पूर्व उस मामले में प्रारम्भिक जॉच की है, इस नियमावली के अधीन उस मामले में जॉच नहीं करेगा यदि उक्त राजपत्रित अधिकारी स्वयं पुलिस अधीक्षक है, तो सम्बंधित उप-महानिरीक्षक को मामले को, यथास्थिति, किसी अन्य जिले या इकाई को अन्तरित करने के लिए कहा जाएगा।

14. विभागीय कार्यवाही करने के लिए प्रकिया–(1) इस नियमावली में निहित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियम-5 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मामलों में पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही परिशिष्ट-एक में अधिकथित प्रकिया के अनुसार की जा सकती है।

(2) उप-नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी नियम 5 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट मामलों में दण्ड पुलिस अधिकारी को लिखित रूप में उसके विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की और कार्य या लोप के लांछन की, जिस पर यह कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है, सूचना देकर और ऐसे अभ्यावेदन (representation) करने का, जो वह प्रस्ताव के विरूद्ध करना चाहे उसे युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् दिया जा सकता है।

(3) इस नियमावली के अधीन संस्थित किसी कार्यवाही में आरोपित पुलिस अधिकारी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाएगा।

15. अर्दली कक्ष दण्ड–पुलिस अधिकारी के, जो हेड कान्सटेबिल की पंक्ति से ऊपर न हो, अनुशासन के छोटे–मोटे उल्लंघनों की रिपोर्टो और कदाचार के तुच्छ मामलों की जॉच और उसका निस्तारण अर्दली कक्ष में पुलिस अधीक्षक या पुलिस बल के अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ऐसे मामालें में दण्ड, पुलिस अधिकारी के कार्य या लोप की, जिस पर उसे दण्डित करना प्रस्तावित है, मौखिक सूचना देकर और मौखिक अभ्यावेदन

रजिस्टर में संक्षिप्त कार्यवाही का मूल पाठ अभिलिखित किया जाएगा।

16. अनुपस्थिति में कार्यवाही–(1) यदि पुलिस अधिकारी, जिसके विरूद्ध विभागीय लम्बित है या जिसके विरूद्ध ऐसी कार्यवाही करना प्रस्तावित है या जिससे जॉच अधिकारी के लिए सम्पर्क करना असम्भव है, अपनी तैनाती के स्थान से या कार्यवाही जब वह प्रगति में हो, **स्वयं को जान-बूझकर अनुपस्थित रखता है तो दोषी पुलिस अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उसकी अनुपस्थिति में विभागीय कार्यवाही की** जा सकती है।

(2) अनुपस्थिति में विभागीय कार्यवाही करने से पहले सम्बंधित प्राधिकारी यह अभिलिखित करेगा कि पुलिस अधिकारी से सम्पर्क करने के लिए किये गये सभी युक्तियुक्त उपायों के बावजूद उस पर आरोप तामील करना और उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करना या उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति पाना सम्भव नहीं हुआ है।

स्पष्टीकरण–जहॉ पुलिस अधिकारी से उसकी सेवा-पुस्तिका में उसके द्वारा दिये गये यथा अभिलिखित पते पर और उसके वर्तमान रूकने के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया जाए या आरोप या नोटिस उसे रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाए या उसके वर्तमान रूकने के स्थान पर और उसकी सेवा-पुस्तिका में उसके द्वारा दिये गये यथा अभिलिखित पते पर विशेष वाहक द्वारा उसे भेजी जाए तो यह समझा जाएगा कि सम्बंधित पुलिस अधिकारी से सम्पर्क करने के लिए युक्तियुक्त उपाय कर दिये गये हैं।

17. निलम्बन (Suspension)–(1) (क) कोई पुलिस अधिकारी, जिसके आचरण के विरूद्ध कोई जॉच अनुध्यात् है, या चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी के, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से निम्न न हो, विवेक पर जॉच की समाप्ति के लम्बित रहने तक निलम्बन के अधीन रखा जा सकेगा।

(ख) कोई पुलिस अधिकारी जिसके सम्बंध में या जिसके विरूद्ध आपराधिक आरोप से सम्बंधित कोई अन्वेषण, जॉच या विचारण लम्बित है, यदि आरोप पुलिस अधिकारी के रूप में उसकी स्थिति से सम्बंधित है या उससे उसके कर्त्तव्यों को पूरा करने में बाधा डालने की सम्भावना है या उसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, नियुक्ति प्राधिकारी के, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, विवेक पर तब तक निलम्बित रखा जा सकेगा जब तक उस आरोप से सम्बंधित समस्त कार्यवाहियॉ समाप्त न हो जायें। यदि अभियोजन परिवाद पर गैर सरकारी किसी व्यक्ति द्वारा संस्थित किया गया है, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह विनिश्चय कर सकता है कि क्या मामले की परिस्थितियॉ अभियुक्त के निलम्बन को न्यायोचित ठहराती हैं।

(2) **कोई पुलिस अधिकारी**–(क) निरोध की दिनांक से, यदि उसे **अड़तालीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया है**, चाहे निरोध आपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया है,

(ख) सिद्ध दोष ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराये जाने के कारण उसे अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के कारावास की सजा और उसे ऐसे सिद्ध दोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं किया गया है, नियुक्ति प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथा स्थिति निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जाएगा।

ध्यान में रखा जाएगा।

(3) जहाँ किसी पुलिस अधिकारी पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को इस नियमावली के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाए और मामले की अग्रतर जॉच या कार्यवाही के किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाये वहाँ,

(क) यदि वह शास्ति किये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निरंतर प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा,

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था, तो उसे, यदि अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाये, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से, नियुक्त प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जाएगा;

परन्तु इस उप-नियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह सक्षम प्राधिकारी की, ऐसे मामलों में जहाँ किसी पुलिस अधिकारी पर पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की आरोपित शास्ति को इस नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति आरोपित की गयी थी, गुणों से भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामले को अग्रतर जॉच या कार्यवाही के लिए या किन्हीं निदेशों के साथ प्रेषित किया गया हो, उन अभिकथनों पर उसके विरूद्ध अग्रतर जॉच लम्बित रहते हुए निलम्बन आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की शक्ति को, प्रभावित करता है।

(4) जहाँ किसी पुलिस अधिकारी पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को आरोपित किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा अपास्त कर दिया जाये या शून्य घोषित कर दिया जाये और नियुक्ति प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उसके विरूद्ध उन अभिकथनों, जिन पर पदच्युति या हटाने की शास्ति मूल रूप में आरोपित की गयी थी, अग्रतर जॉच करने का विनिश्चय करे, चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहें या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाये या उनके विवरणों को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाये या उनके किसी छोटे-मोटे भाग का लोप कर दिया जाये, वहाँ

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन, या तो उसके निलम्बन के आदेश को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अधीन रहते हुए; पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवत्त हुआ समझा जाएगा,

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था तो उसे, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाये, पदच्युतियाँ हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जाएगा।

(5) (क) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रवृत्त बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित या प्रतिसंहृत न कर दिया जाये।

(ख) जहाँ कोई पुलिस अधिकारी चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बंध में या अन्यथा निलम्बित कर दिया जाये या निलम्बित किया गया समझा जाये और कोई अन्य

कार्यवाही समाप्त न कर दी जाये।

(6) **फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-दो, भाग-दो से चार** तक का सब्सीडियरी रूल (सहायक नियम) 199 इस नियम द्वारा नियमित होने वाले पुलिस अधिकारी पर लागू नहीं होगा।

18. **न्यायालय द्वारा अवक्षेप**—जहाँ कोई न्यायालय प्रतिकूल रूप से किसी **पुलिस अधिकारी के आचरण की आलोचना करता है, वहाँ** किसी अपील के, यदि कोई हो, परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना उन बिन्दुओं पर जिन्हें न्यायालय ने परिनिन्दा के योग्य ठहराया है, तुरन्त जाँच की जाएगी।

19. **जाँच के दौरान अवकाश**—ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को, जो निलम्बनाधीन हो या जिसके विरूद्ध जाँच लम्बित हो या अनुध्यात हो उस जिले के, जिसमें पुलिस अधिकारी तैनात हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के सिवाय, अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

20. **अपील (Appeals)**—(1) ऐसा पुलिस अधिकारी, जिसके विरूद्ध **नियम 4 के उप-नियम 1 के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) से (तीन) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) से (चार) में उल्लिखित दण्ड का आदेश** पारित किया जाये, ऐसे दण्ड के आदेश के विरूद्ध नीचे उल्लिखित प्राधिकारी को अपील कर सकता है—

(क) **उप-महानिरीक्षक को,** यदि मूल आदेश पुलिस अधीक्षक या इस नियमावली के उप-नियम (4) के अधीन सशक्त अधिकारियों को हो,

(ख) **महानिरीक्षक को,** यदि मूल आदेश उप-महानिरीक्षक का हो,

(ग) **महानिदेशक को,** यदि मूल आदेश महानिरीक्षक का हो,

(घ) **राज्य सरकार को,** यदि मूल आदेश महानिदेशक का हो,

(2) नियम 4 के उप-नियम (2) और (3) में उल्लिखित किन्हीं **लघु दण्डों को देने वाले किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं** की जाएगी।

(3) प्रत्येक अधिकारी जो अपील करने का इच्छुक हो, अलग से ऐसा करेगा।

(4) इस नियमावली के अधीन प्रस्तुत की गयी प्रत्येक अपील में वह सभी सामग्री, विवरण, तर्क होंगे, जिन पर अपील प्रस्तुत करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा भरोसा किया जाये और वह स्वयं में पूर्ण हो, किन्तु उसमें अपमानजनक या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, प्रत्येक अपील के साथ अन्तिम आदेश की, जो अपील का विषय है, एक प्रति होगी।

(5) प्रत्येक अपील, चाहे अपीलार्थी अब भी सरकार की सेवा में हो; या नहीं, जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से या जिला कार्य में नियुक्त न किये गये पुलिस अधिकारियों के मामले में उस कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से, जिससे अपीलार्थी सम्बन्धित हो या सम्बन्धित रहा हो, प्रस्तुत की जाएगी।

(6) कोई अपील तब तक ग्रहण न की जाएगी, जब तक कि वह उस दिनांक से जब सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को दण्डादेश की सूचना दी गई थी, **तीन मास के भीतर** प्रस्तुत न की जाये।

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी स्वविवेक से दर्शाये गये अच्छे कारणों से, उक्त अवधि **को छः मास** तक बढा सकता है।

उक्त उप-नियम के उपबन्धों का अनुपालन करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि अपीलार्थी उक्त अनुपालन करने में विफल रहता है तो अपील प्राधिकारी अपील को उस रीति से, जैसा वह उचित समझे, निस्तारित कर सकता है।

(8) महानिदेशक या महानिरीक्षक अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, या तो स्वयं या उसे अपील प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिसके समक्ष अपील लम्बित है, उसे तत्समान श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को अन्तरित कर सकता है।

21. अपील के साथ दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना—(1) जब अपील प्राधिकारी अपील को स्वीकार कर लेता है और अभिलेखों को मँगाता है, तब इन सभी पत्रादि को प्रस्तुत करना चाहिए, जिन पर उस अधिकारी द्वारा विचार किया गया था, जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गयी थी, जिसके अन्तर्गत दण्डित अधिकारी की चरित्र-पंजी और सेवा-पंजी भी है।

(2) अपील में पारित आदेश की प्रतियों के साथ, जो अपील प्राधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेजी जाये, विभागीय दण्ड पत्रावली भी अनिवार्य रूप से होगी और उसके साथ प्रस्तुत की जायेगी, जब अभिलेख माँगा जाये।

22. पदच्युति अवधि की गणना—जहाँ पदच्युति या हटाये जाने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील सफल होती है, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी विचार करेगा और **(एक)** ड्यूटी से जबरन अनुपस्थिति की अवधि के लिए, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, उसकी पदच्युति या हटाये जाने के पूर्व की निलम्बन की अवधि भी है, भुगतान किये जाने वाले वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में विशिष्ट आदेश देगा, और **(दो)** यह आदेश देगा कि क्या उक्त अवधि को **फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-दो, भाग-दो से चार के नियम 54 के उपबन्धों के अनुसार** ड्यूटी पर व्यतीत की गयी अवधि समझा जाएगा अथवा नहीं।

23. पुनरीक्षण (Revisions)—(1) ऐसा कोई अधिकारी, जिसकी अपील सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी गयी हो, उस प्राधिकारी से, जिसके द्वारा अपील अस्वीकार कर दी गई है, उच्चतर श्रेणी के प्राधिकारी को अपील अस्वीकार किये जाने के दिनांक से **तीन मास की अवधि के भीतर** पुनरीक्षण के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए हकदार है।

ऐसे प्रार्थना-पत्र पर, पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, जब घोर अनियमितता के परिणामस्वरूप सारवान् अन्याय, या न्याय की हत्या होना प्रतीत हो:

प्रतिबन्ध है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से अपील में पारित किये आदेश की जिसके विरूद्ध इस नियम के अधीन कोई पुनरीक्षण प्रस्तुत न किया गया हो, विधि मान्यता या औचित्य के सम्बन्ध में या ऐसी प्रक्रिया की अनियमितता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के अप्रयोजनार्थ उसके अभिलेख को मँगा सकता है और उनका परीक्षण कर सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। अग्रेतर प्रतिबन्ध है कि प्रभावित व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना प्रथम परन्तुक के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) अपील के लिए विहित प्रक्रिया पुनरीक्षण के आवेदन-पत्रों पर भी लागू होती है। अपील को स्वीकार करने वाले आदेश के पुनरीक्षण के किसी आवेदन-पत्र के साथ आदेश की एक प्रति तथा अपील प्राधिकारी का आदेश भी होगा।

(ख) पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करके उस प्राधिकारी से वरिष्ठ किसी प्राधिकारी जिसको आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाये, बढ़ाया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड बढ़ाये जाने के पूर्व, ऐसा प्राधिकारी दण्डित अधिकारी से यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न उसके दण्ड को इस प्रकार बढ़ा दिया जाये और इस प्रकार दण्ड बढ़ाने वाले ऐसे प्राधिकारी के आदेश को दण्ड का मूल आदेश समझा जाएगा।

25. सरकार की शक्ति—इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी सरकार अपनी स्वप्रेरणा से या अन्यथा, ऐसे किसी मामले के अभिलेखों को मँगा सकती है और उनका परीक्षण कर सकती है जिसे उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली द्वारा उसे प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके विनिश्चित किया गया हो और जिसके विरूद्ध इस नियमावली के अधीन कोई अपील न की गयी हो, और—

(क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि, उपान्तर या पुनरीक्षण कर सकती है, या

(ख) निदेश दे सकती है कि मामले में अग्रसर जॉच की जाये, या

(ग) आदेश द्वारा आरोपित दण्ड को कम कर सकती है या बढ़ा सकती है, या

(घ) मामले में ऐसा अन्य आदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ किसी ऐसे आदेश द्वारा आरोपित शास्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाये, वहॉ सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को प्रस्तावित वृद्धि के विरूद्ध कारण बताने का अवसर दिया जाएगा।

26 मूल दस्तावेज की प्रतियॉ—कोई अधिकारी किसी आदेश की जिसके विरूद्ध इस नियमावली के अधीन कोई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन-पत्र या याचिका दी जा सकती हो, एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा।

27 भुगतान पर अभिलेखों की प्रतियॉ दिया जाना—कोई पुलिस अधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर भुगतान करने पर किसी अपील के पुनरीक्षण के आवेदन-पत्र या याचिका जो इस नियमावली के अधीन प्रस्तुत की जाये, के समस्त पत्रादि को गोपनीय पत्रादि के सिवाय, जिनका प्रकाशन प्रशासन के प्रतिकूल होगा, प्राप्त करने का हकदार होगा।

टिप्पणी

दण्ड के मामले में रिपोर्ट करने वाला अधिकारी, यथा सम्भव, उन सभी मामलों को निकाल देगा जिनका प्रकाशन, प्रशासन के प्रतिकूल हो सकता है।

भुगतान पर अभिलेखों की प्रतियाँ दिये जाने सम्बंधी प्रावधान धारा 6 एवं 7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में भी दिया गया है। कृपया इस नियमावली के साथ उक्त नियमावली का भी अवलोकन करें। (सूचना का अधिकार विधेयक, 2005 लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 तथा राज्य सभा द्वारा 12 मई 2005 को पास किया गया था। इसको राष्ट्रपति की अनुमति 15 जून 2005 को मिली) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पृथक से इसी पुस्तक में दिया गया है।

परिशिष्ट-एक

पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियों के संचालन से सम्बन्धित प्रक्रिया

(नियम 14 (1) देखिए)

कोई औपचारिक जॉच संस्थित किये जाने पर, ऐसे पुलिस अधिकारी को जिसके विरूद्ध जॉच संस्थित की गयी हो, उन आधारों की, जिन पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, लिखित सूचना दी जाएगी और उसे अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। उन आधारों का जिन पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, प्रयोग किसी निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में किया जाएगा जैसा कि इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र-एक में है, जिनकी सूचना आरोपित पुलिस अधिकारी को दी जाएगी और जो इतना स्पष्ट और संक्षिप्त होगा कि आरोपित पुलिस अधिकारी को उसके विरूद्ध तथ्यों और परिस्थितियों को पर्याप्त संकेत मिल जाये। उससे युक्तियुक्त समय के भीतर अपने बचाव का लिखित विवरण देने और यह कहने की अपेक्षा की जाएगी कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई के लिए इच्छुक है। यदि वह ऐसा चाहता है या यदि जॉच अधिकारी ऐसा निदेश देता है तो ऐसे आरोपों के सम्बन्ध में जो स्वीकार न किये जाएँ, मौखिक जॉच की जाएगी। इस जॉच में ऐसे मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित किया जायेगा जैसा जॉच अधिकारी आवश्यक समझे। आरोपित पुलिस अधिकारी साक्षियों की प्रति परीक्षा करने, स्वयं साक्ष्य देने और ऐसे साक्षियों को, जिन्हें वह चाहे बुलाने का हकदार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जॉच अधिकारी पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएँगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है, कार्यवाहियों में साक्ष्य का पर्याप्त अभिलिखित किये जाएँगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है, कार्यवाहियों में साक्ष्य का पर्याप्त अभिलेख और उन पंक्तियों का विवरण और आधार होगा। जॉच अधिकारी आरोपित पुलिस अधिकारी पर लगाये जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में इन कार्यवाहियों से अलग अपनी निजी संस्तुति भी कर सकता है।

प्रपत्र-एक

पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 7 के अधीन कार्यवाहियों में प्रयोग किया जाने वाला आरोप प्रपत्र

..... का कार्यालय

दिनांक.....200....

सेवा में,

(आरोपित पुलिस अधिकारी का पूरा नाम और पदनाम)

आपको एतद्द्वारा आरोपित किया जाता है–

(1) कि आप.....को (या लगभग) या.....(के बीच) और.....(दिनांक) जब.....(पद नाम) के रूप में तैनात थे.....(मामले के तथ्य).....और एतद्द्वारा नियम.....के उल्लंघन या आदेश की अवहेलना या अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहने या इत्यादि के दोषी थे।

साक्ष्य जिस पर आरोप के समर्थन में विचार किये जाने का प्रस्ताव है–

(पद)

(तीन) +

(2) कि आप*

(3) कि आप*

+ (उतनी बार दोहराया जायेगा जितने आरोप थे)

एतद्द्वारा आपसे प्रत्येक आरोप के उत्तर में अपने बचाव का लिखित विवरण दिनांक..... .....को या उसके पूर्व प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। आपको सचेत किया जाता है कि यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमत समय के भीतर आपसे ऐसा कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि आपको कुछ नही प्रस्तुत करना है और आपके मामले में तदनुसार आदेश पारित कर दिये जाएँगे।

साथ ही साथ आपसे अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से यह सूचित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई के लिए इच्छुक हैं और यदि आप किसी साक्षी की परीक्षा या प्रति परीक्षा करना चाहते हैं तो अपने लिखित विवरण के साथ उनका नाम और पता और साक्ष्य का, जिसे प्रत्येक ऐसे साक्षी से देने की प्रत्याशा की जाएगी, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

(जॉच अधिकारी का हस्ताक्षर और पद नाम)

* (के लिए और से की)

प्रमाणित किया जाता है कि आरोप.....(आरोप पक्ष) को पढ़कर सुना दिया गया है और उसे साधारण हिन्दी में स्पष्ट कर दिया गया है और उसकी एक प्रति.....को दी गई है।

आरोप की एक प्रति प्राप्त किया

(आरोपित पक्ष का हस्ताक्षर)

(जॉच अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम)

निम्नलिखित आरोपों का भाग नहीं बनेगा।

अनुदेश

(एक)—आरोप-पत्र सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जाना चाहिए और आरोप-पत्र की प्रति पर उसका हस्ताक्षर लिया जाना चाहिए। यदि यह सम्भव न हो तो उसकी तामीली रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जानी चाहिए।

(दो)—प्रत्येक आरोप संक्षिप्त रूप से और स्पष्ट रूप में तैयार किया जाना चाहिए। अस्पष्टता से बचने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(तीन)—सरकारी सेवक द्वारा किये गये कार्य या कृत्य का यथा सम्भव, संक्षेप में उल्लेख किया जाना चाहिए।

(चार)— यदि कार्य या कृत्य को किसी विशिष्ट नियम या आदेश से सम्बन्धित किया जा सकता है तो उसे यहॉ दर्शाया जाना चाहिए, यदि नहीं, तो एक सामान्य विवरण जैसे "एतद्द्वारा. .....के बेईमानी या कर्त्तव्य अवहेलना के दोषी थे, दिया जाना चाहिए।

(पॉच)—साक्ष्य का विस्तार में दिया जाना आवश्यक नहीं है। साक्ष्य के विभिन्न अंशों, को जिन पर आरोपित सरकारी सेवक के विरूद्ध विचार किया जाना प्रस्तावित है, यथा अमुक-अमुक का कथन या अमुक-अमुक का पत्र या रिपोर्ट अमुक-अमुक दिनांक, विनिदिष्ट करना ही काफी है। तथापि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि साक्ष्य जिसे उपस्थित किया गया है, निःशेष होना चाहिए, क्योंकि

बाद में आरोपित सरकारी सेवक के विरूद्ध साक्ष्य के किसी अग्रतर अंश पर विचार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसे बचाव के अवसर सहित उसको नई नोटिस न दे दी जाये।

प्रपत्र–2

(नियम 15 देखिये)

अर्दली कक्ष रजिस्टर का प्ररूप

पुलिस प्रपत्र संख्या–103

अपील कक्ष पंजी डिवीजन

क्र. स.	नाम पद तथा दोषारोपित पक्ष की संख्या	अपराध	अपराध का दिनांक	साक्षियों का कथन तथा परिस्थितियाँ	दोषारोपित पक्ष का कथन	पिछले अपराधों तथा दण्डों का निदेश	अर्दली कक्ष में बैठे अधीक्षक अथवा अधिकारी का निर्णय	अधीक्षक की आज्ञा तथा दिनांक	दण्ड को कार्यान्वित करने की रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में दिये गये दण्ड का चरित्र पंजिका में उल्लेख

कार्यालय ज्ञाप–1

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यायाधीन सेवा के समस्त राजपत्रित अधिकारियों (समूह "क" तथा समूह "ख") को गोपनीय पंजिका में रखे जाने वाले अभिलेख विषय समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जनवरी, 1977 पर शासन द्वारा समुचित विचारोपरान्त अब यह निर्णय लिया गया है कि–

(i) अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों में यदि अन्ततः अधिकारी को निन्दा करने (Censure) का दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया जाता है, तभी उसका उल्लेख चरित्र पंजिका में किया जायेगा। यदि निन्दा (सेन्सर) करने का निर्णय नहीं है तो **चेतावनी अथवा भर्त्सना (reprimand) चरित्र पंजिका में नही रखीं जायेगी।**

(ii) यदि किसी उच्च प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को चेतावनी दी जाती है अथवा असन्तोष **(Displeasure)** या **भर्त्सना (Reprimand)** सूचित की जाती है तो उसे उस अधिकारी की **व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा। वर्ष के अन्त में प्रतिवेदन प्राधिकारी प्रविष्टि अंकित करते समय इस पर विचार करेंगे और यदि उस अधिकारी में सुधार पाया जाता है तो उसे चेतावनी अथवा असन्तोष या भर्त्सना का उल्लेख प्रविष्टि में नहीं किया जायेगा।** यदि सुधार नहीं पाया जाता है तब उस चेतावनी, अथवा असन्तोष या भर्त्सना को चरित्र पंजिका में रखते हुए **वार्षिक प्रविष्टि** में उसका उल्लेख किया जाएगा।

2. कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जनवरी, 1977 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। **(उ.प्र. सरकार कार्मिक अनुभाग-2 संख्या 36-/9/972-कार्मिक-2, लखनऊ, दिनांक 27 जुलाई, 1989)**

आज्ञा से
(आदित्य कुमार रस्तोगी)
सचिव

अर्धशासकीय परिपत्र संख्या–के–2/92 पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) उत्तर प्रदेश

लखनऊ : दिनांक : जनवरी 29, 1992

विषय : नियमावली के पूर्व प्रकरणों का पुलिस विनियम के प्राविधान में निस्तारण।

प्रिय महोदय,

कृपया मेरे, अर्धशासकीय परिपत्र संख्या–के–1/92 दिनांक 24.1.92 का अवलोकन करें जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड-अपील नियमावली 1991) दिनांक 21.3.91 से सम्बन्धित है।

2. उपरोक्त परिपत्र के प्रस्तर–3 में सन्दर्भित नियमावली के प्रभावी होने के बाद प्रकरणों को लम्बित माना जायेगा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। इस प्रस्तर को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-490 एवं 478 ए के अन्तर्गत वे ही प्रकरण लम्बित माने जायेंगे जिनके सम्बन्ध में आरोप-पत्र/कारण बताओं नोटिस सन्दर्भित नियमावली के पूर्व निर्गत किये जा चुके हों एवं उनका निस्तारण तत्प्रचलित पुलिस रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार ही किया जायेगा, पढ़ा जाये।

3. इसी प्रकार सन्दर्भित परिपत्र के प्रस्तर-5 को निरस्त करते हुए अब इस प्रकार पढ़ा जाये "उ.प्र. अधीन श्रेणी के अधिकारियों (दण्ड अपील नियमावली 1991) के प्रभावी हो जाने के पश्चात् भी पुलिस रेगुलेशन का प्रस्तर–486 (1), (5), एवं (6) (शासनादेश संख्या–यू.ओ./140/आ.–2 दिनांक 16.9.1975, गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के साथ (पठित) अभी पूर्ववत प्रभावी है क्योंकि यह प्राविधान दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-12 के अन्तर्निहित प्राविधानों पर आधारित है।

भवदीय,

(जे.पी. राय)

संख्या : नौ–2–92 दिनांक 15.2.92

द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद जो समस्त विभागाध्यक्षों/समस्त कार्यालयाध्यक्षों पुलिस विभाग, उ.प्र. को सम्बोधित है।

विषय : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील नियमावली 1991)।

उपर्युक्त विषयक शासकीय विज्ञप्ति संख्या 551/उ.पु.–2–91–1000–15–72 दिनांक 1.3.91 जो पुलिस मुख्यालय परिपत्र संख्या20–406–91 दिनांक 10.4.91 द्वारा निर्गत किया या है के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न जनपदों/वाहिनियों आदि से प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि स विज्ञप्ति में **प्रारम्भिक जॉच का कोई उल्लेख नहीं है अतः विभागीय कार्यवाही के पूर्व रम्भिक जॉच की आवश्यकता है अथवा नहीं।**

उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि कथित शासकीय विज्ञप्ति दिनांकित 1.3.91 में **उत्तर प्रदेश पुलिस के अधीनस्थ श्रेणी के कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ये जाने हेतु जिस प्रक्रिया का उल्लेख है उसका तात्पर्य विभागीय परीक्षण से है एवं उपर्युक्त** यमावली में प्रारम्भिक जॉच का कोई उल्लेख नहीं है। प्रारम्भिक जॉच की उत्पत्ति पुलिस

रेगुलेशन्स के प्रस्तर 486 (तृतीय) में निहित विभागों से होती है जो प्रत्येक दशा में पूर्ववत अपरिहार्य है जिसका प्रथम उद्देश्य प्रारम्भिक तौर पर यह पता लगाना है कि विभागीय कार्यवाही का कोई प्रकरण प्रथम दृष्टया बनता है अथवा नहीं तथा इसका आधार क्या है ? स्पष्टतः विभागीय कार्यवाही करने अथवा न करने का निर्णय लिये जाने हेतु जांच सम्पादित की जाती है तब उसे प्रारम्भिक जॉच की संज्ञा दी जायेगी जो अभी अपरिहार्य है।

अतः अनुरोध है कि तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

प्रमाणित

कृते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

वाराणसी,

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली 1995

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह समस्त सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

2. अध्यारोही प्रभाव–यह नियमावली, किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

3. परिभाषाएँ–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, पद–

(क) "**समूचित प्राधिकारी**" का तात्पर्य उस व्यक्ति, जो सरकार द्वारा, यथास्थिति, प्रतिवेदक प्राधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त हो, से है;

(ख) "**संविधान**" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(ग) "**सरकार**" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(घ) "**सरकारी सेवक**" का तात्पर्य उस व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन किसी पद से भिन्न संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर कार्य कर रहा हो, से है;

(ङ) "**रिपोर्ट**" का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के कार्य, आचरण और सत्यनिष्ठ के संबंध में किसी समुचित प्राधिकारी, जिसने उस सरकारी सेवक का कार्य निरन्तर तीन मास से अन्यून अवधि तक देखा हो, द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये अभिलिखित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से है;

(च) "**सचिवालय**" का तात्पर्य सरकार के सचिवालय से है;

(छ) "**वर्ष**" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

4. प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना और प्रत्यावेदन के निपटाने के लिये प्रकिया–(1) जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक हो, जिसे आगे प्रतिकूल रिपोर्ट कहा गया है, तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा, जो प्रतिवेदक/प्राधिकारी से निम्न पंक्ति का न हो और स्वीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट हो, रिपोर्ट को अभिलिखित किये जाने के दिनांक 45 दिन की अवधि के भीतर सम्पूर्ण रिपोर्ट लिखित रूप में संसूचित की जायेगी और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र रिपोर्ट में अभिलिखित किया जायेगा।

(2) सरकारी कर्मचारी, उप नियम (1) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर, इस प्रकार संसूचित प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित माध्यम से स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो तो स्वीकर्त्ता प्राधिकारी को ही कर सकता है:

परन्तु यदि, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि सरकारी सेवक के पास उक्त अवधि के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत न कर सकने के लिये पर्याप्त कारण है तो वह ऐसे प्रत्यावेदन की प्रस्तुति के लिये 45 दिन की अग्रेतर अवधि की अनुमति दे सकता है।

(3) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यावेदन को समुचित प्राधिकारी को, जिसने प्रतिकूल रिपोर्ट अभिलिखित की है, उसकी टीका-टिप्पणी के लिये भेजेगा जो प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से 45 दिन से अनधिक अवधि के भीतर अपनी टीका-टिप्पणी, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्त्ता प्राधिकारी को भेजेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी टीका-टिप्पणी अपेक्षित नहीं होगी, यदि समुचित प्राधिकारी अपनी टीका-टिप्पणी भेजने से पहले सेवा में न रह गया हो या सेवानिवृत्त हो गया हो या निलम्बनाधीन हो।

(4) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट 45 दिन की समाप्ति के 20 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी के साथ प्रत्यावेदन पर विचार करेगा, कोई टीका-टिप्पणी प्राप्त न हुई हो तो टीका-टिप्पणी की प्रतीक्षा किये बिना–

(क) प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए; या

(ख) प्रतिकूल रिपोर्ट को पूर्णः या अंशतः जैसा वह उचित समझे, निकालते हुए सकारण आदेश पारित करेगा।

(5) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, उप नियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी प्रशासनिक कारण से प्रत्यावेदन का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह इस सम्बन्ध में–अपने उच्चतर अधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावेदन के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिये ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।

(6) उप नियम (4) के अधीन पारित आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को लिखित रूप में सूचित किया जायेगा।

(7) जहाँ उप नियम (4) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट निकालने का आदेश पारित किया जाये, वहाँ यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी इस प्रकार निकाली गई रिपोर्ट को विलुप्त कर देगा।

(8) उप नियम (4) के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा।

(9) जहाँ–

(एक) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना;

(दो) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन;

(तीन) समुचित प्राधिकारी को उसकी टीका-टिप्पणी के लिये प्रत्यावेदन के भेजे जाने;

(चार) समुचित प्राधिकारी को उसकी टीका-टिप्पणी; या

(पांच) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन के निपटारे; का कोई मामला इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को लम्बित हो वहाँ ऐसे मामलों पर इस नियम के अधीन उनके लिये विहित अवधि के भीतर विचार किया जायेगा और उसका निपटारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उप नियम के विनिर्दिष्ट किसी मामले के लिये इस नियम के अधीन विहित अवधि की संगणना करने में इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को व्यतीत हो चुकी अवधि की गणना नहीं की जाएगी।

5. रिपोर्ट का प्रतिकूल न समझा जाना–फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के नियम-56 में यथाउपबन्धित के सिवाय जहाँ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट संसूचित नहीं की जाती या जहाँ किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध कोई प्रत्यावेदन नियम-4 के अनुसार नहीं निपटाया गया है वहां ऐसी रिपोर्ट को, संबंधित सरकारी सेवक की पदोन्नति, दक्षता रोक पार करने और अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों के प्रयोजनार्थ प्रतिकूल नहीं समझा जायेगा।

6. रजिस्टर का रख-रखाव–यथास्थिति समक्ष प्राधिकारी या स्वीकर्त्ता प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी ऐसे प्ररूप में, जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, एक रजिस्टर रखेगा और उसमें समुचित प्रविष्टियाँ करेगा।

7. शास्ति–(1) जहाँ सम्बन्धित सरकारी सेवक को किसी प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचित करने के लिये विधि रूप से बाध्य कोई अधिकारी या इस नियमावली के अधीन किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध किसी प्रत्योवदन को निपटाने में विधिक रूप से सक्षम कोई अधिकारी, उसके लिये विहित अवधि के भीतर ऐसा करने में जानबूझ कर विफल रहता है, वहाँ वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

(2) सचिवालय का अनुभाग अधिकारी और सचिवालय से भिन्न कार्यालय का कोई प्रभारी अधिकारी या पदधारी, प्रत्यावेदन को, उस पर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी और अन्य सुसंगत अभिलेखों को, यदि वे हों, उनकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्त्ता प्राधिकारी के समक्ष रखेगा। इस निमित्त, उसकी तरफ से जानबूझ कर किया गया कोई व्यतिक्रम कदाचार होगा और उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

8. व्यावृत्ति–नियम 4 के उप नियम (9) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व की गई कोई कार्यवाही या किया गया कोई कृत्य इस नियमावली के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गई कार्यवाही या किया गया कृत्य समझा जायेगा।

सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली अनुशासनिक कार्यवाही

प्रिय महोदय,

सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरूद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351-ए के अन्तर्गत, सेवाकाल से सम्बन्धित किसी ऐसे मामले जिसमें शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने अथवा गम्भीर दुराचरण के आरोप हों, के लिये अनुशासनिक कार्यवाही करके उसकी पेन्शन में कटौती आदेशित करने के प्रावधान विद्यमान हैं, परन्तु उपरोक्तानुसार कार्यवाही के लिए यह आवश्यक है कि उसे सेवानिवृत्ति के पूर्व आरोप-पत्र दे दिया गया हो अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् किसे ऐसे लैप्स के लिए आरोप-पत्र दिया जाना प्रस्तावित हो जो आरोप-पत्र देने के दिनांक को 4 वर्ष से अधिक पुराना न हो। उक्त प्रावधानों को लागू करते समय शासन के संज्ञान में अनेक ऐसे मामले आये हैं जिनमें इस प्रकार की उपरोक्त कार्यवाही सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति के सन्निकट अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तावित की जाती है। उक्त विलम्ब के कारण इस बात की प्रबल सम्भावनायें रहती हैं कि या तो सेवानिवृति के पूर्व सम्बन्धित कार्मिक को आरोप-पत्र ही न दिया जा सके अथवा सम्बन्धित घटना को 4 वर्ष से अधिक अवधि गुजर जाने के कारण ऐसा आरोप-पत्र दिया जाना नियमतः सम्भव ही न हो सके। जहॉ एक ओर, उक्त विलम्ब के कारण सम्बन्धित व्यक्ति दण्ड पाने से बच जाते हैं, वहीं इससे सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवानिवृति के बाद पेन्शन की स्वीकृति में नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण पर पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है। मुझसे इस सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निम्नांकित निर्णयों से अवगत कराने की अपेक्षा की गई है–

(1) सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कार्मिक की सेवानिवृति को वास्तविक तिथि से कम से कम 3 वर्ष पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके विरूद्ध किसी मामले में अनुशासनिक कार्यवाही तो नहीं की जानी है।

(2) अनुशासनिक कार्यवाही आवश्यक पाये जाने की स्थिति में उक्त अवधि में सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 7/8/1977-कार्मिक-1, दिनांक 30 जुलाई, 1979 में निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार किया जाये।

(3) विचाराधीन अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के अनुवर्ती आचरण पर भी सम्यक् रूप से निगाह रखी जाये ताकि जैसे ही गम्भीर दुराचरण अथवा आर्थिक क्षति का कोई मामला प्रकाश में आये, वैसे ही अपेक्षित कार्यवाही करने के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा सके।

(4) 3 वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय से प्रारम्भ करने तथा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निस्तारित करने का पूर्ण दायित्व नियंत्रक अधिकारी का होगा।

2. अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों तथा मान्यता प्राप्त सेवा संघों को अवगत कराते हुये अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

टिप्पणी

अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-13/6/92-क-1-1992, लखनऊ, दिनांक मार्च 13, 1992 की प्रतिलिपि।